

सिखा के निरचित कार्य में बाध होने से व्यापिक कार्य  
नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वदिनांक दिनांक 13.12.24  
को पेश है।

13-12-24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वंश के चुनाव-  
2024 में सभी अभिभाषकों के व्यस्तता के कारण  
अभिभाषकों द्वारा व्यापिक कार्य का स्थगन हुआ गया  
जिससे व्यापिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वदिनांक  
दिनांक 9.1.25 को पेश है।

9-1-25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आरुहिक  
प्रतिष्ठान प्रणाली प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु जपपुर  
पधारे। जिससे व्यापिक कार्य नहीं हो सका।  
पत्रावली पूर्वदिनांक दिनांक 31.1.25 को पेश है।

31.1.25 पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित।  
अभ्यर्थी के द्वारा प्रा.का का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।  
प्रा.का पर अभिभाषक शर्मा की बहल चुनी गयी। उनके  
द्वारा प्रा.का में कर्षित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रा.का  
को स्वीकार किये जाने का निषेध किया। पत्रावली का  
अवलोकन किया एवं बहल अभिभाषक शर्मा पर मनस किया

--- पारी

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पेश करने से व्यापिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13.12.24 को पेश हो।

13-12-24 पत्रावली पेश हुई। अतिभाषक वंश के चुनाव 2024 में सभी अतिभाषकों के व्यस्तता के कारण अतिभाषकों द्वारा व्यापिक कार्य का स्थगन हुआ गया जिससे व्यापिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01.01.25 को पेश हो।

01-1-25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आरुहिक प्रतिक्रिया प्रणाली प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु जयपुर पधारे। जिससे व्यापिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01.01.25 को पेश हो।

01.01.25 पत्रावली पेश हुई। वकील सार्थक उपस्थित। असार्थक के द्वारा प्रा.का का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रा.का पर अतिभाषक सार्थक की बहल सुनी गयी। उनसे द्वारा प्रा.का में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रा.का को स्वीकार किये जाने का निर्देश किया। पत्रावली का अपलोडिंग किया एवं बहल अतिभाषक सार्थक पर मनस किया।

--- पारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज</p> <p>.....<u>रायनिवास</u>.....बनाम.....<u>राज. सरकार</u>.....</p> <p>मु.नं.- <u>05/24</u>                      किस्म - <u>136 LR Act</u></p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>प्राची के प्रा.पत्र पर वरस हुनी। प्राची का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान न्य. राज स्व अधिनियम 1956 के प्रापधानों के अन्तर्गत पोषनीय नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली केवल शुभारंभ लेकर डाकिल इफ्तक ही है।</p> <p><b>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</b></p>	

## राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

दीवानी अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या  
05/24

तारीख रजू  
07.02.24

तारीख निर्णय  
31.01.25

बचनवान

रामनिवास मीना पुत्र श्री मकखनलाल मीना निवासी पातरखेडा तहसील वैजूपाडा दौसा।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैजूपाडा जिला दौसा।

उपस्थित

अप्रार्थी


1. अभिभाषक प्रार्थी - श्री लक्ष्मीनारायण मीना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया कि भूमि मुतदाविया ग्राम कानेटी तहसील वैजूपाडा जिला दौसा राजस्थान में स्थित खेवट खतौनी संख्या नई 49 पुरानी 55 के खसरा सं. 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 कुल रकबा 1.43 हैक्टे. है। भूमि मुतदाविया के राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का घर में बोलता नान निवास प्रार्थी का नाम निवास व पिता का घर में बोलता नाम मकखन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जो कि गलत है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पेनकार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का सही नाम रामनिवास मीना व पिता का सही नाम मकखनलाल मीना है। प्रार्थी के पिता मकखन के निवास नाम का कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ है, न ही निवास पुत्र मकखन नाम का कोई अन्य व्यक्ति ही गांव में है। प्रार्थी न्यायालय से इस अनर की उदघोषणा अपने हक में करवाने का अधिकारी है कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रहे प्रार्थी के गलत नाम निवास व पिता के नाम मकखन को हजफ कर भूमि मुतदाविया में प्रार्थी का सही नाम रामनिवास मीना व पिता का नाम मकखनलाल मीना दर्ज किया जावे। प्रार्थी को उक्त त्रुटि की जानकारी अपनी भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये दिनांक 10.01.24 को भूमि की जमाबंदी रिकॉर्ड आदि की नकल प्राप्त करने के लिये हल्का पटवारी के पास जाने पर हल्का पटवारी के द्वारा दी। प्रार्थी ने उक्त दुरुस्ती के लिये अप्रार्थी सं. 1 को दिनांक 10.01.24 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी सं. 1 ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत देकर भेज दिया व प्रार्थना पत्र को लेने से इंकार कर दिया। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि मुतदाविया का नामान्तरण खोलते समय में हुई उक्त त्रुटि को दुरुस्त किया जाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र पर

  
उपखण्ड अधिकारी  
मंडावर (दौसा)



अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया एवं बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधान है कि :

136. गलतियों का शुद्धिकरण— भू-अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार— अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितव्य पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया हो।



प्रार्थी खाता संख्या 49 ग्राम कानेटी तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में दर्ज प्रविष्टि निवास पुत्र मखन को संशोधित कर रामनिवास मीना पुत्र मखनलाल मीना करवाना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में लिखा गया है कि प्रार्थी का नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का बोलता नाम निवास दर्ज किया गया तथा पिता का बोलता नाम मखन दर्ज किया गया। स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित जिस प्रविष्टि के सम्बन्ध में दुरुस्ती चाही गई है, वह प्रविष्टि प्रार्थी का नामान्तरण दर्ज करते समय हुई है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्य तथा तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जिस प्रविष्टि के सम्बन्ध में दुरुस्ती चाही गई है, वह प्रविष्टि प्रार्थी का नामान्तरण दर्ज करते समय हुई है तथा इस प्रविष्टि को संशोधित किया जाना राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की परिधि में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण पोषनीय नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

### आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधान के अंतर्गत पोषनीय नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)